परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		यूसी की संख्या	राशि
कृषि (i) कृषि सहकारिता	मार्च 2010 तक	33	12,726.56
	2010-2015	491	1,55,929.94
	2015-2016	337	1,21,615.96
	कुल	**861**	**2,90,272.46**
कृषि (ii) पशुपालन और डेयरी	मार्च 2010 तक	02	155.33
	2010-2015	137	13,277.77
	2015-2016	95	37,962.21
	कुल	**234**	**5,13,95.31**
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए)	मार्च 2010 तक	34	4,220.78
	2010-2015	419	2,59,132.96
	2015-2016	137	1,49,154.20
	कुल	**590**	**4,12,507.94**
शहरी विकास	मार्च 2010 तक	41	2,723.99
	2010-2015	94	1,54,112.86
	2015-2016	287	5,10,818.19
	कुल	**422**	**6,67,655.04**
संस्कृति	मार्च 2010 तक	2,342	18,156.40
	2010-2015	1,169	22,329.73
	2015-2016	59	4,155.57
	कुल	**3570**	**44,641.70**
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	मार्च 2010 तक	41	10,128.91
	2010-2015	85	16,784.03
	2015-2016	140	47,666.70
	कुल	**266**	**74,579.64**

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
निगमित मामले	मार्च 2010 तक	05	1.38
	2010-2015	03	0.53
	2015-2016	01	350.00
	कुल	**09**	**351.91**
नौ-परिवहन	मार्च 2010 तक	01	10.00
	2010-2015	02	39.24
	2015-2016	22	8,808.76
	कुल	**25**	**8,858.00**
श्रम और रोजगार	मार्च 2010 तक	344	2,243.96
	2010-2015	272	5,689.84
	2015-2016	199	2,656.12
	कुल	**815**	**10,589.92**
फार्मास्यूटिकल्स	मार्च 2010 तक	05	1,659.80
	2010-2015	16	1,061.40
	2015-2016	45	12,485.08
	कुल	**66**	**15,206.28**
खान	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	03	50.85
	2015-2016	22	605.54
	कुल	**25**	**656.39**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	मार्च 2010 तक	39	130.16
	2010-2015	186	3316.81
	2015-2016	144	14,979.50
	कुल	**369**	**18,426.47**
पर्यटन	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	140	19,998.40
	2015-2016	26	5,323.53
	कुल	**166**	**25,321.93**
वाणिज्य	मार्च 2010 तक	05	760.40
	2010-2015	09	6,312.04
	2015-2016	10	3,999.80
	कुल	**24**	**11072.24**

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
उपभोक्ता मामले	मार्च 2010 तक	36	35.25
	2010-2015	21	576.29
	2015-2016	28	1,422.36
	कुल	**85**	**2,033.90**
खाद्य और सार्वजनिक वितरण	मार्च 2010 तक	03	1,129.00
	2010-2015	11	1,491.21
	2015-2016	01	8.39
	कुल	**15**	**2,628.60**
रसायन और पेट्रोकेमिकल्स	मार्च 2010 तक	02	4.00
	2010-2015	06	805.00
	2015-2016	07	263.00
	कुल	**15**	**1,072.00**
सार्वजनिक उद्यम	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	22	146.18
	2015-2016	45	434.53
	कुल	**67**	**580.71**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	मार्च 2010 तक	08	10.51
	2010-2015	22	178.71
	2015-2016	17	94.75
	कुल	**47**	**283.97**
कौशल विकास और उद्यमिता, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	-	-
	2015-2016	01	52
	कुल	**01**	**52.00**
कौशल विकास और उद्यमिता, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	-	-
	2015-2016	02	97,500
	कुल	**02**	**97,500.00**
कानून (विधायी विभाग)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	05	2.50
	2015-2016	03	2.10
	कुल	**08**	**4.60**

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
इस्पात	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	01	288.00
	2015-2016	04	503.95
	कुल	**05**	**791.95**
कपड़ा	मार्च 2010 तक	1,047	4,884.74
	2010-2015	2,333	1,32,682.35
	2015-2016	1,737	1,66,136.15
	कुल	**5,117**	**3,03,703.24**
सड़क परिवहन और राजमार्ग	मार्च 2010 तक	23	11.72
	2010-2015	शून्य	शून्य
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	**23**	**11.72**
भारी उद्योग	मार्च 2010 तक	01	20.00
	2010-2015	04	18,539.65
	2015-2016	18	11,675.18
	कुल	**23**	**30,234.83**
विद्युत	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	शून्य	शून्य
	2015-2016	25	50,0979.00
	कुल	**25**	**50,0979.00**
दूरसंचार, आईटीआई लिमिटेड	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	02	2,1943.20
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	**02**	**21,943.20**

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
ग्रामीण विकास	मार्च 2010 तक	37	1,48,036.00
	2010-2015	71	7,83,605.24
	2015-2016	30	3,780.27
	कुल	**138**	**9,35,421.51**
नीति आयोग	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	13	124.35
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	**13**	**124.35**
कुल योग		**13,028**	**35,28,900.81**

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

उन निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीने से अधिक के विलम्ब के पश्चात् लेखे प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में विलम्ब
1.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	02.12.2016	5
2.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली	26.10.2016	3
3.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद	03.10.2016	3
4.	दक्षिण जोन सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर	04.10.2016	3
5.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	02.11.2016	4
6.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	01.12.2016	5
7.	केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद	28.10.2016	3
8.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे	11.11.2016	4
9.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता	07.10.2016	3
10.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	11.11.2016	4
11.	लक्षद्वीप बिल्डिंग देव बोर्ड, कवारात्ती	13.10.2016	3
12.	प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोर्ड, कोलकाता	15.12.2016	5
13.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा	05.10.2016	3
14.	केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय, सोनवर	31.10.2016	3
15.	सभ्यता अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली	24.10.2016	3
16.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर	20.12.2016	5
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	05.10.2016	3
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	24.10.2016	3
19.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालय, वर्धा	13.10.2016	3
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्फाल	11.11.2016	4
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	24.10.2016	3

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में विलम्ब
22.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम	21.11.2016	4
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टैक्नोलॉजी, शिबपुर	07.12.2016	5
24.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम	07.10.2016	3
25.	भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति	13.10.2016	3
26.	शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली	14.10.2016	3
27.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	11.11.2016	4
28.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	02.11.2016	4
29.	मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता	30.01.2017	6
30.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	03.03.2017	8
31.	नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली	30.01.2017	6
32.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी	01.04.2017	9
33.	सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर	06.01.2017	6
34.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	06.03.2017	8
35.	खाद्य सुरक्षा और भारत के मानक प्राधिकरण	08.02.2017	7
36.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	08.03.2017	8

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 30 नवंबर 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
	वर्ष 2013-14 के लिए
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
	वर्ष 2014-15 के लिए
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
	वर्ष 2015-16 के लिए
	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
3.	तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई
4.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
6.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
7.	हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, दिल्ली
	कोयला मंत्रालय
8.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
9.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
	संस्कृति मंत्रालय
11.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, दिल्ली
12.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय धर्मशाला

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
13.	मौलाना अब्दुल कमल आजाद उच्च अध्ययन संस्थान
14.	नव नालंदा महावीर, नालंदा
15.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
16.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
	विदेश मंत्रालय
17.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
18.	नालंदा विश्वविद्यालय
	वित्त मत्रांलय
19.	पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण, दिल्ली
	गृह मंत्रालय
20.	लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
21.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
22.	प्रायोगिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
23.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर
24.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम
25.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
26.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
31.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
32.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय मुक्त विद्ध्यालय संस्थान, नोएडा
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
34.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
	कानून और न्याय मंत्रालय
35.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
36.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
	कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्रालय
37.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
38.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
	युवा मामले और खेल मंत्रालय
39.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
40.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, दिल्ली
41.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, दिल्ली

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
	आयुष मंत्रालय		
1.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2015-16	1
2.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	2015-16	1
3.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर	2015-16	1
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्,, नई दिल्ली	2015-16	3
5.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	2015-16	3
	संस्कृति मंत्रालय		
7.	पश्चिम जोन सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर	2015-16	1
8.	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	2015-16	1
9.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	2015-16	1
10.	खुदा बक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	2015-16	1
11.	राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2015-16	1
12.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	2015-16	1
13.	सालारजंग संग्रहालय मंडल, हैदराबाद	2015-16	3
14.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, वाराणसी	2015-16	3
15.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति, दिल्ली	2015-16	3
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
16.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	2015-16	1
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	2015-16	1
18.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
19.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2014-15	7

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
20.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	2014-15	2
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	2014-15	2
22.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	2015-16	1
23.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2015-16	1
24.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	2015-16	1
25.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2015-16	1
26.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान जबलपुर	2015-16	1
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
28.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2015-16	3
29.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
30.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	2015-16	3
31.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी	2015-16	3
32.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान	2015-16	3
33.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	2015-16	3
34.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2015-16	3
35.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	2015-16	3
36.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	2015-16	3
37.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2015-16	3
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर	2015-16	3
39.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2015-16	3
40.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
41.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा	2015-16	3
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड, चुमुकेदीमा	2015-16	3
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी उत्तराखंड	2015-16	3

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	2015-16	3
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग	2015-16	3
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल	2015-16	3
47.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2015-16	3
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी	2015-16	3
49.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2015-16	3
50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	2015-16	3
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2015-16	3
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर	2015-16	3
53.	राष्ट्रीय खान विद्ध्यालय , धनबाद	2015-16	3
54.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	2015-16	3
55.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	2015-16	7
56.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2015-16	7
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2015-16	7
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
58.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
59.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2015-16	3
विद्युत मंत्रालय			
60.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	2015-16	3
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
61.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद	2015-16	1
62.	पीपुल्स एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	2015-16	7
पोत परिवहन मंत्रालय			
63.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	2015-16	7

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
64.	राष्ट्रीय आत्म विमोह मस्तिष्क पक्षाघात मंदबुद्धि और बहु विकलांगता न्यास	2015-16	1
65.	भारत पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
66.	केंद्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी दिल्ली	2014-15	**7**

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के खातों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), यूपिया, पापूम परे जिला, अरूणाचल प्रदेश पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर (अनुसूची-4क)-₹ 276.34 करोड़

उपरोक्त में, ₹ 2.55 करोड़ के उप-सड़क, पुश्ते की दीवार और स्टील के पुल जिसका 2016-17 के दौरान निर्माण पूरा किया गया था और संस्थान को दे दिया गया था परंतु "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ की सीमा तक "चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य" को अधिक और "स्थायी संपत्तियों" को कम बताया गया था।

2. राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलॉग

चालू परिसम्पत्तियां (अनुसूची-7):

बचत, खातों में अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष : ₹ 3.06 करोड़

उपरोक्त में, संस्थान द्वारा 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व जारी चैकों की कीमत के ₹ 18.05 करोड़ शामिल थी परंतु 31 मार्च 2017 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए थे, भी शामिल नहीं थे। चूंकि इन चैकों की वैधता समाप्त हो चुकी थी, इन पुराने चैकों के प्रति देयता सृजित की जानी है और रोकड़ पुस्तिका में उत्क्रम प्रविष्टि की जानी है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक में ₹ 18.05 करोड़ तक चालू देयताओं और चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया है।

3. आईआईटी, भुवनेश्वर 2016-17

स्थायी परिसंपत्तियां: ₹ 213.80 करोड़ (अनुसूची -4)

उपरोक्त में समाप्त जमा निर्माण कार्यों पर ₹ 159.50 करोड़ का व्यय शामिल नहीं है, जिसे कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिकार दिया गया और संस्थान द्वारा अधिकृत (जुलाई 2016) दर्शाया गया था और उपयोग में लाया गया परंतु पूंजीकृत नहीं किया गया था जिसे गलत रूप से चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 159.50 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों की कम बताए जाने और प्रगति में पूंजीगत कार्यों को ज्यादा बताया गया था। और उसपर मूल्यह्रास को भी कम बताया गया था।

4. एनआईटी अगरतला

(i) चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य ₹ 243.45 करोड़ (अनुसूची-4)

मूर्त परिसम्पत्तियों को 8 निर्माण कार्यों (योजना निधि-6, गैर-योजना निधि-2) को हस्तांतरित न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 125.68 करोड़ तक अधिक बताया गया है जबकि निर्माण गतिविधियों के समापन के पश्चात् 2011-12 और 2016-17 के बीच एनआईटी, अगरतला द्वारा इनका अधिकार ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप मूर्त परिसंपत्तियों (नेट ब्लॉक) को ₹ 123.01 करोड़ तक कम बताया गया था और इन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान न किए जाने के कारण कॉपर्स निधि को ₹ 2.67 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

(ii) सामान्य

23 फरवरी 2006 को संघ मंत्रीमंडल के निर्णय के माध्यम से भूतपूर्व त्रिपुरा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (टीईसी) को एनआईटी अगरतला में बदल दिया गया था। संस्थान ने ₹ 16.08 करोड़ के कुल निवल परिसम्पत्तियों को चिन्हित किया था जिसकी त्रिपुरा सरकार द्वारा जांच की गई थी और संस्वीकृति प्रदान की गई थी (मई 2008)। संस्थान को अब तक इन परिसम्पत्तियों और देयताओं को अपने लेखे में शामिल करना है जबकि उनके पास इसका कब्जा है।

5. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कालाबुरागी (गुलबर्ग)

चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य

₹ 6.80 करोड़ की कीमत वाले पूर्ण किए गए भवन और एयरकंडीशनिंग निर्माण कार्य पूंजीकृत नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप कथित सीमा तक चल रहे कार्यों को अधिक बताया गया था और स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था। इसके कारणवश ₹ 16.48 लाख तक व्यय और मूल्यह्रास को कम बताया गया था।

6. आईआईटी कानपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां

इसे ₹ 17.89 करोड़ तक कम बताया गया है क्योंकि एमएचआरडी के प्रारूप में निर्धारित दरों से अलग दरों पर इसे प्रभारित करके अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया था। इसके कारणवश उसी राशि तक व्यय को अधिक बताया गया था। इस अभ्युक्ति को पूर्व वर्ष 2015-16 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

स्थायी परिसम्पत्तियां -अमूर्त परिसम्पत्तियां: शून्य (अनुसूची -4)

उपरोक्त में, मुख्य अनुदान से खरीदे गए ₹ 1.19 करोड़ और टीईक्यू-आईपी अनुदान से खरीदे गए ₹ 59.83 लाख की कीमत वाले ई-जर्नलों के कारण ₹ 1.79 करोड़ शामिल नहीं है। चूंकि ई-जर्नल मूर्त परिसंपत्तियों का भाग हैं, उन्हें मूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था (अनुसूची-4)। हालांकि, इन्हें राजस्व व्यय (अंशदान व्यय-अनुसूची-16) के रूप में माना गया था और पत्रिका और जर्नल (प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय अनुसूची-17) में ₹ 59.83 लाख शामिल था। इसके कारणवश ₹ 1.32 करोड़ (₹ 1.79 करोड़ में से मुख्य अनुदान परिसंपत्तियों ₹ 47.79 लाख घटाकर) स्थायी/मूर्त परिसम्पत्तियों को कम बताया गया और व्यय को अधिक बताया गया था।

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी

चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य: ₹ 161.06 करोड़

उपरोक्त में, ₹ 17.51 करोड़ की कीमत के तीन भवन शामिल है जिन्हें निष्पादन अभिकरण द्वारा पूरा करके मई, जुलाई और दिसम्बर 2016 के दौरान संस्थान को दे दिया गया था। चूंकि निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था और संस्थान द्वारा इन तीन भवनों का अधिकार दे दिया था और उपयोग में लाया गया था, इन्हें पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। पूर्ण हुए भवनों को पूंजीकृत न किए जाने के कारणवश चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹ 17.51 करोड़ तक अधिक बताया गया था, ₹ 16.63 करोड़ तक भवनों (₹ 17.51 करोड़, घटा मूल्यह्रास ₹0.88 करोड़) को कम बताया गया था और घाटे को कम बताए जाने के साथ-साथ ₹0.88 करोड़, तक पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

9. केन्द्रीय केरल विश्वविद्यालय, कसरगोड

चालू देयताएं (अनुसूची-3): ₹155.74 करोड़

दो बार ₹ 7.97 करोड़ की राशि की स्थायी परिसम्पत्तियों के जमा के लेखांकन के कारण कॉपर्स निधि को ₹ 7.97 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसे 2016-17 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूंजीकृत किया गया था क्योंकि स्थायी परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में ₹ 38.42 करोड़ की राशि के भवनों के प्रति स्थायी परिसम्पत्तियों जमा में उस राशि को पहले से ही शामिल कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक चालू देयताओं -अप्रयुक्त अनुदानों (अनुसूची-10) को कम बताया गया था।

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर

अमूर्त परिसम्पत्तियां -₹36.79 लाख

उपरोक्त में ऑनलाइन जर्नलों (ई-जर्नल) के अंशदान के ₹ 3.49 करोड़ शामिल नहीं थे। संस्थान ने उसे शैक्षिक व्यय के अंतर्गत आवर्ती व्यय के रूप में माना था। एमएचआरडी द्वारा जारी केन्द्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) के वित्तीय विवरणी के संशोधित फार्मेटों में निहित निर्देशों के अनुसार, ई-जर्नलों को अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाए। हालांकि, संस्थान ने उसे अनुसूची 13 के अंतर्गत शैक्षिक खर्चे के रूप में लेने पर विचार किया इसके परिणमस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ (₹ 3.49 करोड़ घटा मूल्यह्रास ₹ 2.10 करोड़) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था और उसी राशि तक व्यय को अधिक बताया गया था।

11. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे

कॉपर्स/पूंजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹ 550.76 करोड़

₹ 49.46 करोड़ का घाटा जोकि वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे से आय पर व्यय का प्रतिनिधित्व करता है उसे केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरणियों के संशोधित फार्मेट में निर्धारित रूप से कॉपर्स में अंतरित नहीं किया गया था परंतु चालू देयताओं (अनुसूची-3(ग)) में ₹ 9.14 करोड़ (शैक्षिक प्राप्तियो, अन्य आय और मूल्यह्रास को छोड़कर) की आय पर व्यय के निवल आधिक्य को अंतिरित कर दिया था। इसके कारणवश ₹ 9.14 करोड़ तक कॉपर्स को अधिक बताया गया था और उस सीमा तक चालू देयताओं को कम बताया गया था।

12. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी

कॉपर्स/पूंजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹1162.82 करोड़

सम्पूर्ण प्रायोजित परियोजनाओं के संख्या में 69 स्थायी परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 8.99 करोड़ तक कम बताया गया था जबकि प्रयोजित परियोजनाओं के समापन के पश्चात संस्थान के संबंधित विभगों को यह परिसम्पत्तियां हस्तांतरित की गई थीं। इसका पूंजीकरण न किए जाने के कारण आगे 2016 के अंत तक ₹ 8.99 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था।

13. कलकत्ता बंदरगाह श्रमिक मंडल (सीडीएलबी)

31 मार्च 2017 को सीडीएलबी के लिए सेवानिवृत्तित पेंशन के लिए देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बताए गए ₹ 859.30 करोड़ की बजाय ₹ 782.61 करोड़ के रूप में दर्शायी

गई थी। इसके कारणवश मौजूदा देयताओं को कम बताए जाने के साथ-साथ ₹76.78 करोड़ तक आय पर व्यय का आधिक्य हुआ था।

14. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

निवेश में पारादीप पत्तन सड़क निगम लिमिटेड (पीपीआरसीएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन में सामान्य शेयरों के प्रति ₹ 40 करोड़ का निवेश शामिल है। पीपीआरसीएल की निवल कीमत पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है तथा 31 मार्च 2016 को (-)₹ 495.52 करोड़ के रूप में है। इसलिए, लेखांकन मानक 13, निवेशों हेतु लेखांकन के अंतर्गत अपेक्षित रूप से दीर्घ अवधि निवेश की कीमत में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया था और ₹ 40 करोड़ तक कर से पूर्व निवल अधिशेष को अधिक बताया गया था। 2015-16 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यही टिप्पणी शामिल है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

15. चेन्नई पत्तन न्यास

(i) 31 मार्च 2017 को मौजूदा पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण हेतु एलआईसी द्वारा किए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएं ₹ 4854.40 करोड़ बनी थीं। पत्तन ने पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण निधि के प्रति ₹ 3159.89 करोड़ की राशि प्रदान की है। इसके कारणवश ₹ 1694.51 करोड़ तक चालू देयताओं और प्रावधानों एवं व्यय को कम बताया गया था। परिणामस्वरूप, उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया है।

(ii) नीलामी किए गए स्क्रैप, जो उठाया नहीं गया था, हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान पत्तन ने ₹ 1.28 करोड़ की राशि दर्ज की थी। वर्ष 2016-17 के दौरान पत्तन ने ₹ 25.80 करोड़ तक और स्क्रैप की नीलामी कर दी थी। ₹ 27.08 करोड़ की कीमत के बेचे गए कुल स्क्रैप जो पहुँचाया जाना था, में से वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 17.73 करोड़ का स्क्रैप वास्तव में पहुँचाया गया था जिसे आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके बजाय पत्तन ने ₹ 4.38 करोड़ तक की आय दर्ज की थी जिसके कारणवश आय को कम बताया गया था और ₹ 13.35 करोड़ तक देयताओं को अधिक बताया गया था।

16. कोचीन पत्तन न्यास

वर्ष 2016-17 के लिए मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के कारण देयता ₹ 2949.98 करोड़ थी जिसके प्रति ₹ 2871.85 करोड़ की कमी छोड़ते हुए पेंशन और आनुतोषित निधि में निवेश ₹ 78.13 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और

प्रावधानों को कम बताया गया था और परिणामस्वरूप ₹ 2871.85 करोड़ तक हानि को कम बताया गया था।

17. न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास

पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रति किए प्रावधान में कमी होते हुए ₹ 179.82 करोड़ के वित्त एवं विविध व्यय शामिल नहीं है। बीमांकिक मूल्यांकन के रूप में, ₹ 926.69 करोड़ की सीमा तक का प्रावधान किया गया था। हालांकि, पत्तन ने केवल ₹ 746.87 करोड़ प्रदान किए थे। पर्याप्त देयता का सृजन न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 179.82 करोड़ की सीमा तक वर्तमान देयता और वित्त एवं विविध व्यय को कम बताया गया था और परिणामत: उस सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया था।

18. वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

31 मार्च, 2017 को मौजूदा कर्मचारियों और मौजूदा पेंशनभोगियों (पत्तन एवं कार्गो हैंडलिंग प्रभाग) के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी देयता पर एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएं ₹ 1131.33 करोड़ तक थीं। पत्तन ने पेंशन और ग्रेच्युटी निधि के प्रति ₹ 894.63 करोड़ की राशि प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधान को कम बताया गया था और ₹ 236.70 करोड़ तक निवल अधिशेष को अधिक बताया गया था।

19. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अवधि जमा प्राप्ति (टीडीआर) में ओरेएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के पास फरवरी 2014 में जमा ₹ 67.59 करोड़ की राशि और 31 मार्च 2017 तक ₹ 29.20 करोड़ की राशि का अर्जित ब्याज शामिल है। चूंकि मामला सीबीआई न्यायालय में लम्बित है और जेएनपीटी के पास ₹ 67.59 करोड़ के लिए सावधि जमा प्राप्ति/अवधि जमा प्राप्ति नहीं थे, उन्हें ₹ 67.59 करोड़ का संदेहास्पद निवेश और ₹ 29.20 करोड़ तक के अर्जित ब्याज के लिए प्रदान करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 67.59 करोड़ तक रोकड़ और बैंक शेषों को अधिक बताया गया था, निवेशों पर अर्जित ब्याज को ₹ 29.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था और ₹ 96.79 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था।

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए जेएनपीटी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी।

20. मुम्बई पत्तन न्यास

लेखांकन मानक 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार, केवल उसी सीमा तक आस्थागित कर परिसम्पत्ति (डीटीए) को मान्य माना जाना चाहिए जहां तक उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति कर वसूला जा सकता है। मानक आगे प्रावधान करता है कि निश्चितता का पर्याप्त स्तर सामान्य रूप से उद्यम के पूर्व अभिलेखों की जांच करके और भविष्य के लिए लाभों के वास्तविक अनुमान लगाकर प्राप्त किए जा सकते है।

पूर्व के साथ-साथ भविष्य के लिए प्रक्षेपित वित्तीय विवरणियों का विश्लेषण इस निश्चितता का पर्याप्त स्तर प्रदान नहीं करता कि भविष्य में करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति आस्थगित कर परिसम्पत्तियां प्राप्त की जा सके। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान एमबीपीटी को हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, पत्तन ने ₹ 3040.03 करोड़ की बीमांकिक देयता प्रदान नहीं की थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीटीए की मान्यता ठीक नहीं है। निवल घाटे को ₹ 386.92 करोड़ तक कम बताया गया था जिसमें 2016-17 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त ₹ 141.70 करोड़ का डीटीए और पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 245.22 करोड़ शामिल है।

इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पत्ति को अधिक बताया गया था और ₹ 386.92 करोड़ तक हानि को कम बताया गया था।

(इस टिप्पणी को 2014-15 से एमबीपीटी के लेखाओं में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है)।

21. कांडला (दीनदयाल) पत्तन न्यास

(i) भारत सरकार ने सिंध पुनर्वास निगम लिमिटेड को 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि का 2600 एकड़ प्रदान किया है (28 नवम्बर 1955)। दिनांक 16 दिसम्बर 1964 के पत्र के माध्यम से पोतपरिवहन मंत्रालय ने बताया कि 28 नवम्बर 1955 को निष्पादित संशोधित पट्टा विलेख के खंड 10 के अनुसार सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष, केपीटी को नामांकित किया गया है। अक्तूबर 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान केपीटी ने ₹ 6.16 करोड़ तक की राशि का बन्धक शुल्क इकट्ठा किया था और अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 0.90 करोड़ की राशि का हस्तांतरण शुल्क इकट्ठा किया था। चूंकि भूमि केपीटी से संबंधित नहीं है और सरकार ने विकास आयुक्त की शक्तियां केवल केपीटी के आयुक्त को दी है, केपीटी द्वारा एकत्रित बंधक शुल्क और

हस्तांतरण शुल्क को सरकार को प्रेषित करना चाहिए था। हालांकि, केपीटी ने बंधक शुल्क और हस्तांतरण शुल्क को अपनी आय के रूप में बताया। इसके कारणवश वर्तमान देयताओं को कम बताया गया था और ₹ 7.06 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था।

इस टिप्पणी को वर्ष 2015-16 के लिए केपीटी के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

(ii) पत्तन के लेखे की टिप्पणियों में बताया गया था कि ₹ 204.66 करोड़ तक की राशि के आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि आयकर योजनाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के अंतर्गत केपीटी ने छूट का दावा किया था।

चूंकि केपीटी को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 11 से 13 के अंतर्गत अभी तक छूट प्राप्त करना शेष है और वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 216 करोड की राशि का अग्रिम कर/टीडीएस का भी भुगतान किया है, उन्हें वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 204.66 करोड़ तक की राशि के आयकर देयता के लिए प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके कारणवश वर्तमान देयता को कम बताया गया और ₹ 204.66 करोड़ तक कर के पश्चात लाभ को अधिक बताया गया था।

इस टिप्पणी में वर्ष 2015-16 के लिए केपीटी के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

22. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

अक्षय निधि में 1964 से आगे के वर्षों तक आयोग द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों और उसके द्वारा एवं नोडल बैंकों द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को प्रतिपूर्ति बिलों/वाउचरों की गैर-प्राप्ति/प्रविष्टि न किए जाने के कारण लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किए गए, प्रदत्त रकम अनुदान अग्रिमों के कुल ₹ 55.53 करोड़ शामिल है। विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ₹ 55.53 करोड़ के इन रकम अग्रिमों की सीमा तक 'अक्षय निधि' शेषों की यर्थाथता और वसूली को सत्यापित नहीं कर सकी।

इस टिप्पणी को वर्ष 2011-12 से 2015-16 जिनमें अग्रिमों के गैर-समायोजन पर बार-बार टिप्पणी की गई है, को एसएआर में शामिल किया गया था।

23. तेल उद्योग विकास मंडल

(i) चालू देयताओं और प्रावधानों को निम्नलिखित के कारण ₹ 29.06 करोड़ तक कम बताया गया था:

(क) जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपीएवंएनजी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से सुसंगत निर्देश प्राप्त किए गए थे, भारत में तलछटी बेसिनों के आंके न गए क्षेत्र के मूल्यांकन के प्रति तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा की गई लागत होते हुए ₹ 27.64 करोड़ का प्रावधान न करना।

(ख) एमओपी एवं एनजी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कॉर्पस निधि के प्रति भुगतान योग्य राशि ₹ 0.80 करोड़ होते हुए प्रावधान न करना।

(ग) केजी बेसिन में केज-डीडब्ल्यूएन 98/2 और केजी-डीडब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉकों के संदर्भ में ओएनजीसी तथा रिलांयस भारत लिमिटेड के बीच विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित समिति के व्यय के प्रति भारतीय तेल लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा ₹ 0.32 करोड़ के व्यय का प्रावधान न करना।

(घ) 1 जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों को ₹ 0.30 करोड़ के भुगतान योग्य बकाया वेतन का प्रावधान न करना।

उपरोक्त का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.06 करोड़ तक 'व्यय पर आय के आधिक्य' को अधिक बताया गया था।

(ii) आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बियक्कों लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश की कमी न होने के कारण ₹ 40.13 करोड़ तक निवेश अधिक बताया गया था। परिणामस्वरूप, उसी राशि तक 'व्यय पर आय के आधिक्य' को भी अधिक बताया गया था।

24. दिल्ली विकास प्राधिकरण

(i) भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015-16 के एसएआर की टिप्पणी सं. 4.3(क) में भूमि की उपलब्धता अधिक बताए जाने से संबंधित डीडीए के वित्तीय विवरणों का संदर्भ पूछा गया था जिसमें ₹ 108.06 करोड़ से लाभ की अधिक बुकिंग हुई थी। यद्यपि डीडीए ने अपने लेखांकन नीति को लेखांकन मानक 2 (वस्तुसूची का मूल्य निर्धारण) की संगति में संशोधित किया था, तथापि, पहले दर्ज की गयी लाभ की राशि की चालू वर्ष में लौटाया नहीं गया था। इससे उपलब्ध भूमि के मूल्य को ₹ 108.06 करोड़ तक अधिक बताया गया था, इसके साथ ही अधिशेष को तुलन पत्र में अग्रेषित किया गया था।

(ii) अनुसूची-ज के अनुसार, डीडीए ने ई डब्ल्यूएस आवास रिर्जव निधि, में से किये गये निवेश से ₹ 77.84 करोड़ की ब्याज आय दर्शायी थी, लेकिन इसे आय एवं व्यय लेखे में जमा किया गया था। चूंकि ईडब्ल्यूएस निधि को आयकर अधिनियम के वैधानिक आवश्यकता के

कारण बनाया गया था, यह एक प्रतिबंधित/चिन्हित निधि है और ईडब्ल्यूएस रिर्जव निधि से प्राप्त आय को आय एवं व्यय लेखे में जमा नहीं किया जाना चाहिए था। बल्कि, इसे सीधे 'ईडब्ल्यूएस आवास रिर्जव निधि खाते' में जमा करना चाहिए था।

इसका कारण कुल आय के साथ-साथ उस वर्ष हेतु अधिशेष के ₹ 77.84 करोड़ तक अधिक बताने में हुआ था।

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एसएआर में 2015-16 हेतु डीडीए के वित्तीय विवरण पर टिप्पणी सं. ख. 1.1(क) पर संदर्भ मांगा गया था जहां यह इंगित किया गया था कि किया गया व्यय और ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण से अर्जित आय को आय एवं व्यय खाते में रखने की बजाय ईडब्ल्यूएस आवास रिर्जव निधि में समायोजित किया जाना चाहिए था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान भी ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के प्रति किये गये ₹ 83.62 करोड़ को आय एवं व्यय लेखे में डेबिट किया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 96.16[1] करोड़ की राशि आय (ईडब्ल्यूएस आवासों के डब्ल्यूआईपी में वृद्धि) के रूप में जमा किया गया था। इससे आय एवं व्यय लेखे में व्यय का ₹ 83.62 करोड़ तक अधिक बताया गया और आय को ₹ 96.16 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

25. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7): ₹ 7.12 करोड़

2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत शुल्क के रूप में ₹ 18.19 करोड़ की धनराशि संग्रहित की गयी थी जिसे अप्रतिदेय बताया गया था। तथापि, उत्पाद अनुमोदन योजना को 19 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया था। उस समय 1876 आवेदन प्राधिकरण के पास लंबित थे। उस शुल्क को आवेदकों को लौटाया नहीं गया था उसे प्राधिकरण के विगत वर्ष के लेखे में प्राप्ति के रूप में दिखाया गया था। चूंकि ये आवेदन या तो आवेदनों के रद्द होने या अनुमोदन के लंबित निर्णय थे, इन पर प्राप्त शुल्क को लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। अत:, प्राधिकरण की देयताओं का ₹ 4.69 करोड़ (1,876x₹25,000) तक कम बताया गया था।

[1] डीडीए की नीति के अनुसार 15 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त खर्च शामिल है।

26. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद

आय एवं व्यय लेखा

आय का अधिक बताया जाना - ₹ 19.24 करोड़ (अनुसूची-11)

परिषद ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 19.24 करोड़ का शुल्क प्राप्त किया था, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4.84 करोड़ का अग्रिम शुल्क शामिल था। तथापि, ₹ 19.24 करोड़ राशि के कुल शुल्क को आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में दर्शाया गया था (अनुसूची-11)। इसके कारण ₹ 4.84 करोड़ तक आय को अधिक और देयताओं को कम बताया गया था।

27. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-8) -₹ 12,089.29 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों में पंचदीप परियोजना के अंतर्गत मैसर्स विप्रो से खरीदी गयी ₹ 3.71 करोड़ के कम्प्यूटर/तब्संबंधी वस्तु और वर्ष 2016-17 के दौरान इसके अनुबंधीय देयता (₹ 1.25 करोड़ की परिसम्पत्तियों की कम आपूर्ति के प्रति ईएसआईसी द्वारा माना गया) की अधिकता में प्राप्त ₹ 1.63 करोड़ की परिसम्पत्तियां भी शामिल नहीं थीं। इसके कारण ₹ 5.34 करोड़ से स्थायी परिसम्पत्तियों को कम और सामान्य रिर्जव को कम बताया गया था।

28. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (एनआईटी)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियॉ-मूर्त परिसम्पत्तियॉ: ₹ 111.47 करोड़ (अनुसूची-4):

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीति सं.5 के अनुसार "सीधी कटौती विधि से मूल्य ह्रास प्रदान किया गया था"। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास एमएचआरडी द्वारा निर्धारित सीधी कटौती विधि के स्थान पर लिखित मूल्य विधि पर प्रदान किया गया था।

एमएचआरडी द्वारा निर्धारित मूल्य-ह्रास की विधि नहीं अपनाए जाने के कारण उपर्युक्त परिसम्पत्तियों को ₹ 1.03 करोड़ तक अधिक बताया गया है। (2015-16: ₹36.65 लाख एवं 2016-17: ₹ 66.60 लाख)। मूल्यह्रास के कम प्रभारित करने के परिणामस्वरूप घाटे को ₹ 1.03 करोड़ तक कम बताया गया और साथ ही कॉर्पस/पूंजीगत निधि को इतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

(ख) 2016-17 के दौरान ₹ 7.92 करोड़ मूल्य का निर्माण कार्य पूरा किया गया था और मैसर्स हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा संस्थान को अंतिम भुगतान किया गया था। तथापि, पूँजी में परिणत नहीं किया गया और ₹ 6.56 करोड़ के अंतर्गत और ₹ 1.35 करोड़ अग्रिमों के रूप में दर्ज किया गया था।

उपर्युक्त परिसम्पत्तियों का पूँजीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.76 करोड़ (निवल) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था और इसके ही समतुल्य पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर, की इसके साथ ही अग्रिमों को क्रमश: ₹ 6.56 करोड़ एवं ₹ 1.35 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष हेतु ₹ 15.84 लाख (दो प्रतिशत की दर पर) से मूल्य-ह्रास को कम बताया गया और इतनी ही राशि से कॉपर्स पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

(i) अमूर्त परिसम्पत्तियॉ: ₹ 383.37 लाख

इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 (₹ 30.79 लाख), 2016-17 (₹ 98.93 लाख) हेतु मूल्य ह्रास को कम प्रभारित करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ से अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया था। मूल्य-ह्रास को कम प्रभारित करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ से घाटे को कम बताया गया और इतनी ही राशि से कॉर्पस/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

29. कोलकाता पत्तन न्यास

पेंशन एवं ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान में गिरावट है क्योंकि वास्तविक मूल्य निर्धारण एवं उपलब्ध निधियों के मध्य वर्ष 2016-17 हेतु अंतर ₹ 3969.99 करोड़ का था।

30. कलकत्ता डॉक-श्रमिक बोर्ड

सेवा निवृत्ति पेंशन हेतु ₹ 76.78 करोड़ के प्रावधान में गिरावट है क्योंकि एलआईसी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन और उपलब्ध निधि में अंतर वर्ष 2016-17 हेतु था।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (ए) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2016-17 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली
3.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
5.	भारत दंत परिषद, नई दिल्ली
6.	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
8.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
11.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
12.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
15.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
19.	केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
20.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
24.	पौधों के किस्मों और किसानों के अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली

25.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
27.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश
29.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
30.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
31.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग
32.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
34.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
35.	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यनिवर्सिटी, हैदराबाद
36.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
38.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
39.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
40.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
41.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
43.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
44.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
45.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर
46.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
49.	ऑरोविल फाउंडेशन, पुदुचेरी
50.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी

54.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
55.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
56.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
58.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भठिंडा
59.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
60.	तिब्बती ग्रन्थ और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
61.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
62.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
64.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
65.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
66.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
68.	मिजोरम विश्वविद्ध्यालय
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
70.	नागालैंड विश्वविद्ध्यालय
71.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
73.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर
74.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
75.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
76.	कोलकाता पत्तन न्यास
77.	कोलकाता बंदरगाह श्रम बोर्ड
78.	कोचीन पत्तन न्यास
79.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
80.	आरजीआईपीटी जैस, अमेठी, यूपी
81.	जूट बोर्ड

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (बी) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें 2016-17 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3.	दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, नई दिल्ली
4.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
5.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
6.	आयोजन समिति, 12वीं एसएजी, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
9.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
13.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
14.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
18.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
21.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
22.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

24.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
25.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
26.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
27.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
28.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
29.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलोर
30.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
31.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
33.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
34.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
35.	ऑरोविल फाउंडेशन, पुदुचेरी
36.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
38.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
39.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
40.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
42.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
43.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
44.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
45.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
47.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
48.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
49.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल
50.	मिजोरम विश्वविद्यालय
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नगालैंड
52.	नागालैंड विश्वविद्यालय
53.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी), वर्धा

54.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
55.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
56.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (केवल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन किया गया है एवं इसके किसी भी नौ संस्थानों में नहीं)
57.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
58.	कोलकाता पत्तन न्यास
59.	कलकत्ता बंदरगाह श्रम बोर्ड
60.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास
61.	मुम्बई पत्तन न्यास
62.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
63.	मसाला बोर्ड, कोची
64.	जूट बोर्ड, कोची
65.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
66.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (सी) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां 2016-17 के दौरान सामान सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
3.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
4.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
5.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	आयोजन समिति, 12वीं एसएजी, नई दिल्ली
7.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
11.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	पौधा किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
14.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	योजना तथा वास्तु-कला विश्वविद्यालय, दिल्ली
17.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा समिति, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
19.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
21.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
22.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपति

24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
25.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
26.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
27.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
28.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
29.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
30.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
31.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
32.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
33.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
34.	ऑरोविल प्रतिष्ठान, पुडुचेरी
35.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
37.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
38.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
39.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
40.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
42.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
43.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
44.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
46.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
47.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
48.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
49.	योजना एवं वास्तु-कला विद्यालय , भोपाल
50.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
52.	मिजोरम विश्वविद्यालय
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड

54.	नागालैंड विश्वविद्यालय
55.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी), वर्धा
56.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे
57.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर),, तिरूपति
58.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
59.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
60.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
61.	कोलकाता पत्तन न्यास
62.	कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड
63.	मुंबई पत्तन न्यास
64.	मसाला बोर्ड, कोची
65.	कयर बोर्ड, कोची
66.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (डी) के संदर्भ में)
उन स्वायत्त निकायों की सूची जो प्राप्ति/कैश आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
5.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
8.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली
9.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
10.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
12.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
13.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
19.	दक्षिण केंद्रीय बिहार विश्वविद्यालय, पटना
20.	खुदा बक्ष ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
21.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
22.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़

24.	इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद
25.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
26.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
27.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
28.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
29.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
30.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
31.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
32.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद
34.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
35.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ई) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	भारतीय चिकित्सा परिषद , नई दिल्ली
3.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
5.	केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
11.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
13.	सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
14.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
15.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
16.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
18.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
21.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांक लोगों का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली
22.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
23.	केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
24.	भारतीय विश्व मामलें परिषद, नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
26.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
28.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
29.	अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
31.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा समिति, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
33.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
34.	योजना तथा वास्तु-कला विद्ध्यालय, नई दिल्ली
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश
36.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
37.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग
38.	खुदा बक्ष ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
39.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
40.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
42.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद
43.	राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
44.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
45.	सलारजंग म्यूजियम, हैदराबाद
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
47.	केंद्रीय उडीसा विश्वविद्यालय, कोरापुट
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
49.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ओतपुर, कटक
50.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
51.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
52.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
53.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
54.	व्यावहारिक प्रशिक्षण (ईआर) बोर्ड, कोलकाता
55.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
56.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
57.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
58.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
59.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
60.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता
61.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
62.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
63.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
64.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
65.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
66.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
67.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
68.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
69.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी
71.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
73.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
75.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
77.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
78.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
79.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
80.	तिब्बती ग्रन्थ और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
81.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
82.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
83.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
84.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
85.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
87.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल
88.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
89.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
90.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई
91.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
92.	महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
93.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर.
95.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
96.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
97.	कोचिन पत्तन न्यास
98.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास
99.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
100.	नाविक भविष्य निधि संगठन
101.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
102.	रबर बोर्ड
103.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
104.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
105.	कॉफी बोर्ड, बैंगलोर

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6 (एफ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
6.	कांडला (दीनदयाल) पत्तन न्यास (केपीटी)
7.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (जी) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल, मैंगलोर
4.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
7.	यूनानी चिकित्सा राष्ट्रीय संस्थान, बैंगलोर
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
9.	सिक्किम विश्वविद्यालय
10.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर
11.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
12.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
16.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
17.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
20.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
21.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ओलतपुर, कटक
22.	कॉफी बोर्ड, जनरल निधि, बैंगलोर
23.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
24.	केंद्रीय सिल्क बोर्ड, बैंगलोर
25.	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.7 के संदर्भ में)

नवंबर 2017 को मार्च 2016 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नही	पत्राचार के अधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नही	पत्राचार के अधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नही	पत्राचार के अधीन
1.	कृषि	2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	2	-	2	-	-	-	2	-	2
2.	आयुष	2016	3	3	-	-	-	-	3	3	-
3.	रासायनिक और उर्वरक	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4.	नागर विमानन	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5.	कोयला	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6.	वाणिज्य का वाणिज्य और उद्योग विभाग	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	3	-	3	-	-	-	3	-	3
		2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1

8.	संस्कृति	2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	2	2	-	2	2	-
9.	पेयजल और स्वच्छता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10.	विदेशी मामले	2016	2	1	1	-	-	-	2	1	1
11.	वित्त	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	2	2	-	-	-	-	2	2	-
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	2	-	2	1	-	1	3	-	3
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	2	-	2	5	-	5	7	-	7
13.	गृह मंत्रालय	2016	4	1	3	-	-	-	4	1	3
14.	मानव संसाधन विकास	2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	1	-	1	1	-	1	2	-	2
		2015	-	-	-	2	-	2	2	-	2

		2016	-	-	-	21	15	6	21	15	6
15.	सूचना और प्रसारण	2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
16.	श्रम और रोजगार	2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
17.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
18.	खान	2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
19.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
21.	ग्रामीण विकास	2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	2	1	1	-	-	-	2	1	1
22.	नौ-परिवहन	2016	6	-	6	-	-	-	6	-	6
23.	कौशल विकास और उद्यमिता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25.	कपड़ा	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
26.	जनजातीय मामले	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	-	-	-	1	1	-	1	1	-

27.	शहरी विकास	2016	2	-	2	1	-	1	3	-	3
28.	महिला और बाल विकास	2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
29.	युवा मामले और खेल	2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	कुल		**53**	**12**	**41**	**56**	**19**	**37**	**109**	**31**	**78**